

सं०सं०-1/दंत-03/2017-116(1)क
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक-19/103/2018

विषय:- पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवायें मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रू० 4,13,00,000/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पत्रांक-171, दिनांक-09.02.2018 के आलोक में पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को विपत्र कोड-20-2210051050009 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवायें मद में पुनर्विनियोग से प्राप्त कुल रू० 4,13,00,000/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

(2) यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दि०-17.04.98, 2880/वि०(2) दि०-06.05.06, 2938/वि०(2), दि०-08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०-18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

(4) इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड-20-2210051050009 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत्यादेश सं०-318(1) दिनांक-15.03.2018 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



क्रमशः

(6) आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।


(7) इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

(8) इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

(9) इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(10) इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सचिवदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/दंत-03/2017- 116(1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 19/03/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना /वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

दत्त महाविद्यालय, पटना, विपन कोड-20-2210051050009 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0009.01.01 वेतन	8732000	8732000	7600000	16332000	8732000	7600000	16332000	0
0009.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0	0	0	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	12071000	12071000	400000	12471000	12071000	400000	12471000	0
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	1843000	1843000	1400000	3243000	1843000	1400000	3243000	0
0009.01.05 परिवहन भत्ता	264000	264000	400000	664000	264000	400000	664000	0
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	96000	96000	100000	196000	96000	100000	196000	0
0009.01.07 अन्य भत्ता	47000	47000	100000	147000	47000	100000	147000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	23053000	23053000	10000000	33053000	23053000	10000000	33053000	0
0009.28.02 सविदा सेवायें	6500000	16500000	31300000	47800000	16500000	31300000	47800000	0
कुल-	29553000	39553000	41300000	80853000	39553000	41300000	80853000	0

(रुपये चार करोड़ तेरह लाख)

116(1)क
19-03-2018

सरकार के विशेष सचिव

19/3/18

अतिरिक्त / अनुदान
.....के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1 / दंत-01 / 2018- 247(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 27 / 02 / 2018

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवाएँ मद में रू0 4,13,00,000 /-(रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित।

2. अतिरिक्त / अनुदान माँग सं0-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

अतिरिक्त / अनुदान माँग सं0-20


पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा 0009.28.02 संविदा सेवाएँ मद में रू0 4,13,00,000 /-(रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र की राशि संस्थान के वेतन एवं संविदा / मानदेय पर कार्यरत कर्मियों का भुगतान हेतु नितान्त आवश्यकता है।

माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड-20-2210011100008 के वेतन एवं भत्ते मद, माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 के 0009.06.01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति, 0009.13.05 विधि प्रभार, 0009.13.06 वर्दी / पोशाक, 0009.14.01 किराया महसूल एवं कर, 0009.20.03 प्रशिक्षण व्यय मद एवं माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100001 के 0001.21.02 दवा भंडार मद में उपबधित राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल समतुल्य राशि रू0 4,13,00,000 /-(रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है।


सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं0-221

मॉग सं0-20

अनुदान/विनियोग

मॉग सं0-20

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड- 20-2210051050009

मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शाहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0008- श्रीवृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड- 20-2210011100008

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।				शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।			
क्र.सं. के अधीन	मं. अनुदान	वर्तमान अनुदान	अनुकूल्यता का अंतर	अनुकूल्यता का अंतर	मं. अनुदान	वर्तमान अनुदान	अनुकूल्यता का अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8
0009.01.01 वेतन	8732000	8732000	16332000	7600000	16332000	0008.01.01 वेतन	170246000
0009.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0	विशेष वेतन	0
0009.01.03 जीवन यापन भत्ता	12071000	12071000	12471000	400000	12471000	0008.01.03 जीवन यापन भत्ता	223023000
0009.01.04 मकान किराया भत्ता	1843000	1843000	3243000	1400000	3243000	0008.01.04 मकान किराया भत्ता	18707000
0009.01.05 परिवहन भत्ता	264000	264000	664000	400000	664000	0008.01.06 चिकित्सा भत्ता	1580000
0009.01.06 चिकित्सा भत्ता	96000	96000	196000	100000	196000	0008.01.07 अन्य भत्ता	4957000
0009.01.07 अन्य भत्ता	47000	47000	147000	100000	147000	योग- वेतन एवं भत्ते	
योग- वेतन एवं भत्ते			10000000	10000000			
0009.28.02 सविदा सेवायें	6500000	16500000	47800000	31300000	47800000	मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009	
						योग- वेतन एवं भत्ते	50000
						0009.06.01 चिकित्सा प्रसिपति	25000
							50000
							25000
							25000
							~25000

247(1)
27-02-2018

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/दंत-01/2018- 318 (1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/03/2018

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना विपत्र कोड-20-2210051050009 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा संविदा सेवाएँ मद्द में कुल रू0 4,13,00,000/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते तथा 0009.28.02 संविदा सेवाएँ मद्द में कुल रू0 4,13,00,000/- (रुपये चार करोड़ तेरह लाख) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- 05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0009-दंत महाविद्यालय, पटना, विपत्र कोड-20-2210051050009 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/दंत-01/2018- 318 (1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 15/03/2018

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव